उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-1
संख्या-7/2735/26-1-2013-4(12)/2011
लखनऊ : दिनांक: 19 सितम्बर, 2013
कार्यालय-ज्ञाप

श्रीमती स्वप्ना कुमारी, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर सम्प्रति सम्बद्व समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ द्वारा गोरखपुर की तैनाती अवधि में शासकीय कार्यो में लापरवाही बरतने, राष्टीय पारिवारिक लाभ योजना में शासकीय धनराशि के गबन/कूटरचना, फर्जी रिपोर्ट तैयार करने आदि अनियमितताओं के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या'940/26-1-2010-सक-1, दिनांक 20-05-2010 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जॉच हेतु श्री आर0के0 सिंह, उपनिदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। श्रीमती स्वप्ना कुमारी को शासन के पत्र दिनांक 20-05-2010 द्वारा आरोप पत्र दिया गया।

2- श्रीमती स्वप्ना कुमारी के पत्र दिनांक 15-06-2010 द्वारा प्रस्तुत किये गये आरोपवार लिखित उत्तर/साक्ष्य के सम्यक् परीक्षणोपरान्त जॉच अधिकारी द्वारा पत्र संख्या-131/सक/उ0नि0आर0/2011-12, दिनांक 04-11-2011 द्वारा जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारी पर लगाये गये 11 आरोप में से आरोप संख्या-1, 2, 9 व 10 सिद्व नहीं पाये गये तथा आरोप संख्या-6 आंशिक रूप से तथा आरोप संख्या-3, 4, 5, 7, 8 व 11 पूर्णरूप से प्रमाणित पाये गये।

3- उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत जॉच अधिकारी की जॉच आख्या भेजते हुए शासन के पत्र संख्या-3824/26-1-2011-4(12)/2011, दिनांक 30-11-2011 द्वारा अपचारी अधिकारी को तथ्यात्मक स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु नोटिस दिया गया। पुनः शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4388/26-1-2011-4(12)/2011, दिनांक 02-01-2012 द्वारा अपचारी अधिकारी को अभिकथन/अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया। तत्क्रम में अपचारी अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 23-02-2012 द्वारा अभिकथन उपलब्ध कराया गया।

4- जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभिकथन तथा संगत अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर शासन स्तर पर सम्यक् परिशीलन के उपरान्त यह पाया गया कि:-

(1)- विकासखण्ड सहजनवा में स्थित ग्राम पंचायत भरसाड के इन्दिरा गॉधी राष्टीय वृद्वावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 51 पेंशनर्स में से 17 व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया तथा 34 पेंशनर्स के नाम बीपीएल सूची में दर्ज न होने के बावजूद पेंशन निर्गत कर दी गयी। रू0 300/- प्रतिव्यक्ति की दर से 03 माह की पेंशन रू0 900/- अर्थात कुल रू0 30,600/-का अनियमित भुगतान किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपचारी अधिकारी द्वारा वृद्वावस्था पेंशन के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का न तो बीपीएल सूची से मिलान कराया गया और न ही उसका सम्यक् परीक्षण किया गया। यदि अपचारी अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही पूर्ण की जाती तो रू0 30,600/- के अनियमित भुगतान को रोका जा सकता था। इस प्रकार अपचारी अधिकारी वृद्वावस्था पेंशन में प्रश्नगत धनराशि के अनियमित भुगतान के कराने के लिए दोषी हैं।

(2) विकासखण्ड सहजनवा ग्राम पंचायत बनगवॉ के इन्दिरा गॉधी राष्टीय वृद्वावस्था पेंशन हेतु 31 लाभार्थियों के नाम प्राप्त हुए, जिसमें से 29 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2008-09 में कुल रू0 900/- की दर से भुगतान किया गया। इसी ग्रामसभा के अन्य प्रस्ताव में 31 व्यक्तियों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसके सापेक्ष 26 व्यक्तियों को रू0 1800/- प्रति पेंशनर की दर से पेंशन दी गयी। बी0पी0एल0 का मानक दिनांक 19-11-2007 से प्रभावी हुआ। जबकि उक्त वृद्वावस्था पेंशन स्वीक़ति के प्रस्ताव दिनांक 25-05-2007 के हैं। अपचारी अधिकारी द्वारा बीपीएल का मानक निर्धारित होने के पूर्व के प्रस्ताव पर पेंशन स्वीक़त की गयी। यदि अपचारी अधिकारी द्वारा अपने पदीय दायित्वों का सम्यक् निर्वहन करते हुए बीपीएल सूची के मानकों का सही ढंग से अनुपालन किया गया होता, तो प्रश्नगत शासकीय धनराशि के अनियमित भुगतान को रोका जा सकता था। इस प्रकार अपचारी अधिकारी शासकीय धनराशि के अनियमित भुगतान की दोषी हैं।

(3) विकासखण्ड सहजनवॉ में स्थित ग्राम पंचायत भगौरा के 55 लाभार्थियों का प्रस्ताव जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिनांक 25-02-2007 को प्राप्त हुआ, जिसमें 55 लाभार्थियों के नाम प्रस्तावित थे। 55 पेंशनरों में से 49 पेंशनरों को रू0 1800/- की दर से वर्ष 2008-09 की द्वितीय छमाही की पेंशन की किस्त निर्गत की गयी। ग्रामसभा

http://shasanadesh.up.nic.in

कटाईटीकर का प्रस्ताव 15-07-2007 को प्राप्त हुआ, जिसमें 17 लाभार्थियों के नाम सम्मिलित थे। उक्त लाभार्थियों में से 05 लाभार्थियों को रू0 1800/- की दर से वर्ष 2008-09 की द्वितीय छमाही की धनराशि मात्र रू0 900/- का भुगतान किया गया। उक्त दोनों प्रस्ताव इन्दिरा गॉधी राष्टीय वृद्वावस्था पेंशन योजना के प्रारम्भ होने के पूर्व के हैं। अतः योजना प्रारम्भ के पूर्व के प्रस्ताव के आधार पर पेंशन स्वीक़त किया जाना वैध नहीं है। इस प्रकार अपचारी अधिकारी प्रश्नगत योजना लागू होने की पूर्व की तिथि के प्रस्ताव को स्वीक़त किये जाने की दोषी हैं।

(4) अपचारी अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में राष्टीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 673 लाभार्थियों की सूची जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसे जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 10-11-2008 को अनुमोदित किया गया। बाद में कतिपय शिकायतें प्राप्त होने पर विभागीय कर्मियों से आवेदन पत्रों का सत्यापन कराया गया, जिसमें 118 आवेदन पत्र अपात्र पाये गये, जिसे जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 24-01-2009 को स्वीकृत किया गया। स्पष्ट है कि अपचारी अधिकारी द्वारा अपने पदीय दायित्वों का सम्यक् निर्वहन करते हुए यदि पूर्व में ही लाभार्थियों के पात्रता का परीक्षण करा लिया जाता तो 118 अपात्र लाभार्थियों के नाम पूर्व में जिलाधिकारी से अनुमोदित नहीं होते। इस प्रकार अपचारी अधिकारी अपने पदीय एवं पर्यवेक्षणीय दायित्वों में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के दोषी है।

5- उक्त गंभीर वित्तीय अनियमितताओं एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता/शिथिलता बरतने के लिए शासन स्तर पर श्रीमती स्वप्ना कुमारी को जिला समाज कल्याण अधिकारी पद से पदावनत करते हुए मूल पद अधीक्षक(राजपत्रित) पर तैनात किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त विनिश्चित दण्ड पर शासन के पत्र संख्या-191/26-1-2013-4(12)/2011, दिनांक 25-04-2013 द्वारा सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद से मा0 आयोग की सहमति/अभिमत से शीघ्र अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी। तत्क्रम में लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-3/2/एडीसी/एस-4/2013-14, दिनांक 05-09-2013 द्वारा उक्त प्रस्तावित दण्ड पर सहमति प्रदान की गयी है।

अतएव समस्त तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती स्वप्ना कुमारी, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर को जिला समाज कल्याण अधिकारी पद से उनके मौलिक पद अधीक्षक(राजपत्रित) पर प्रत्यावर्तित करते हुए उक्त अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त किये जाने की सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते हैं।

के0राम मोहन राव,
सचिव।

<u>पृ0सं0-7/2735(1)/26-1-2013-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को एक अतिरिक्त प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दण्डादेश को श्रीमती स्वप्ना कुमारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सम्बद्व निदेशालय समाज कल्याण, लखनऊ को तामील कराते हुए तामीली की सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रक्षित करने हेतु।(द्वारा-निदेशक, समाज कल्याण)

4- श्रीमती स्वप्ना कुमारी, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर सम्प्रति सम्बद्व निदेशालय समाज कल्याण, लखनऊ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in